

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
चिकित्सा प्रभाग
Medical Division

Ref: RRCAT/RMC/Circular/01/2023/2 §

November 28, 2024.

विषय: अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लाभार्थियों को निर्देश - संबंधी
Sub.: **Instructions to CHSS beneficiaries – reg.**

सभी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे दवाओं की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करते समय इन निर्देशों का पालन करें:

All the CHSS beneficiaries are requested to follow these instructions while submitting claims for reimbursement of medicines:

1) यह देखा गया है कि कई अं.स्वा.से.यो. लाभार्थी स्वयं (बिना किसी चिकित्सक की सलाह के) दवाएं खरीदते हैं और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बिलों पर विचार या निपटान नहीं किया जाएगा।

1) It is observed that many CHSS beneficiaries purchase medicines by self (without the advice of any doctor) and submit the claims for settlement. Such bills will not be entertained or settled.

2) प्रतिपूर्ति फॉर्म पर और मेडिकल बिल के पीछे सील के साथ इलाज करने वाले एमए के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

2) It is mandatory to get the signature of the treating AMAs on the reimbursement forms and also on the reverse of the medical bill along with the seal.

3) कृपया आवेदन पर बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और संपर्क नंबर का उल्लेख करना न भूलें (विशेषकर सेवानिवृत्त, पञ्केवि, कर्मचारी और केओसुब कर्मी)।

3) Kindly do not forget to mention the bank account number, IFSC code and contact number on the application (**especially retirees, AECS staff and CISF personnel**).

4) सूचीबद्ध अस्पतालों से निर्धारित दवाएं खरीदने के बाद लाभार्थियों द्वारा जमा किए गए बिलों के मामले में, कृपया मूल नुस्खे, राचिके के चिकित्सक के रेफरल की प्रति और मूल दवा बिलों के साथ विधिवत संलग्न आवेदन जमा करें।

4) In case of bills submitted by beneficiaries after purchasing medicines prescribed from the empanelled hospitals, kindly submit application duly enclosed with original prescription, copy of RMC doctor's referral and original medicine bills.


5) रोगियों द्वारा खरीदे गए पोषक तत्वों की खुराक, हर्बल अर्क, भोजन की खुराक, प्री और प्रोबायोटिक्स के दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी (भले ही सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा निर्धारित किया गया हो)

5) Claims for Nutritional supplements, herbal extracts, food supplements, pre and probiotics purchased by the patients will not be reimbursed (even if prescribed by empanelled hospitals).

6) यह देखा गया है कि कई मरीज नुस्खे से अधिक मात्रा में दवाएँ खरीद रहे हैं। ऐसी अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। कृपया एक बार में 2 महीने से अधिक अवधि की दवाएँ न खरीदें।

6) It is noticed that many patients are purchasing quantities in excess to prescription. Such excess amount shall not be reimbursed. Please do not purchase medicines for more than 2 months duration at a time.

- 7) मरीजों के फॉलो-अप के लिए लिए गए एम्बुलेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 7) Ambulance charges availed for FOLLOW UP of patients are not be reimbursable.
- 8) मूल आवेदन के गुम होने का संदर्भ देने के बाद आवश्यक संलग्नकों के साथ मूल आवेदन की प्रति के साथ ही डुप्लिकेट बिल पर विचार किया जाएगा।
- 8) Duplicate bill shall be considered only with copy of original application along with necessary enclosures after giving reference of missing of original application.
- 9) बिल राशि का दावा करने वाले प्राथमिक लाभार्थी को प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बिल के पीछे हस्ताक्षर करना आवश्यक है। बिलों पर हस्ताक्षर के बिना आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 9) The primary beneficiary claiming the bill amount is required to sign on the reverse of every bill that is submitted. Applications without signature on the bills shall not be processed.
- 10) कृपया दावों के लिए भरे हुए आवेदन केवल ड्रॉप बॉक्स (चिकित्सा केंद्र के पंजीकरण काउंटर के पास रखे) में ही डालें।
- 10) Please drop the completed applications for claims in the drop box ONLY (kept near the registration counter of dispensary).

 28/11/2024

(वर्षा चं. कदम) / (Varsha C. Kadam)

प्रभारी, चिकित्सा प्रभाग प्रशासनिक प्रकोष्ठ

In-Charge, Medical Division Administrative Cell

वर्षा चं. चिकित्सा प्रभाग / Medical Division

सहायक कार्मिक अधिकारी / Assistant Personnel Officer

प्रभारी, चिकित्सा प्रभाग प्रशासनिक प्रकोष्ठ

In-Charge, Medical Division Administrative Cell

चिकित्सा प्रभाग / Medical Division

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

भारत सरकार / Government of India

इन्दौर - 452013 / Indore-452013

प्रति / To,

मेल ऑल / Mail All

प्रभारी, चिकित्सा केंद्र, राराप्रप्रौके / In-charge, RMC, RRCAT

प्रभारी, राराप्रप्रौके चिकित्सा, सेवा अनुभाग, राराप्रप्रौके / In-charge, RMSS, RRCAT

प्रमुख, संगणक प्रभाग, राराप्रप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT :

(इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएचएसएस, पेंशनर, और कर्मचारी कॉर्नर पर राराप्रप्रौके की वेबसाइट पर अपलोड करें / With a request to upload the Circular on CHHS, Pensioner's and Employee's Corner on RRCAT Website)

निदेशक कार्यालय, राराप्रप्रौके / Director's Office, RRCAT

महासचिव, केटसा / General Secretary, CATSA

महासचिव, केटगंगा / General Secretary, CATGANGA

संयोजक, परमाणु ऊर्जा सेवानिवृत्त कल्याण संघ, इंदौर / Convener, Atomic Energy Retirees Welfare Association, Indore

प्राचार्य, पऊकेवि, राराप्रप्रौके / Principal, AECS, RRCAT